12 12/19 पत्रावली पेश हुई। वादिगण व उनका अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-2 आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अदालत का समय समाप्त होने जा रहा है क्योंकि उपस्थित नहीं। वादिगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद आदेश 17 नियम 3 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार कार्य हो तथा वाद तकमील कोरम नाटकार हो।

Scanned by CamScanner